न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2017

अनुज कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. भागंवती पत्नी गोपालराम
2. कृष्णादेवी पत्नी कृष्ण कुमार

} जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर । ——रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 06.03.2017

उपस्थितः—

श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो.सं.1
श्री लखवीरसिंह अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 18.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का. अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया वह चक हरीपुरा बारानी के मु.न. 95 प.न. 142/334 के कि.न. 1 से 25 की 6.325 है., चक 6 एनपी के मु.न. 142/321 के कि.न. 9 से 25 की 4.454 है0, मु.न. 70 प.न. 141/321 के कि.न. 14/2 से 17, 23 से 25 में 0.633 है. नहरी व 1.012 है. बारानी व मु.न. 72 प.न. 139/321 के कि.न. 1, 2 की 0.456 है. एवं चक 7 एन पी बी के के मु. न. 26 प.न. 142/322 के कि.न. 1 से 25 की 6.325 है. भूमि को किसी अन्य को रहन बैय व किसी अन्य तरीके से खुर्द बुर्द नहीं करे तथा मौका एवं रेकार्ड की

18/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

यथास्थिति बनाये रखे । अप्रार्थी सं.1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किये बिना आदेश पारित किया है जबकि हर प्रकार से मामला प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में साबित था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए , प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

विद्वान अभिषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतःअपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इस आधार पर खारिज किया है कि रेस्पों. व अपीलांट सह–खातेदार है परन्तु अधी.न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किये बगैरा निर्णय पारित किया है। अतः अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय के निर्णय का संदर्भ हिस्सा है कि विवादित भूमि चक हरीपुरा बारानी के मु.न. 95 प.न. 142/334 के कि.न. 1 से 25 की 6.325है0 बारानी, चक 6 एनपी के मु.न. 69 प.नं. 142/321 के कि.नं. 1, 9 से 24 की 4.454 है0, मु.न. 70 प.न. 141/321 के कि.नं. 14/2 से 17, 23 से 25 में 1.645 है0 बारानी व मु.न. 72 प.न. 139/321 के कि. न. 1, 2 की 0.456 है0 एवं चक 7 एन.पी.बी. के मु.न. 26 प.न. 142/322 के कि. न. 1 से 25 की 6.325है0 बारानी भूमि की अप्रार्थी सं. 1 हिस्सा 1/8 के रिकार्डेड सहखातेदार एवं गैरखातेदार कृषक है। गैर खातेदारी भूमि को छोडते हुए

18/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सहखातेदार कृषक हमने हिस्सा भूमि का बेचान कर सकता है लेकिन भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने बिना संयुक्त खातेदारी भूमि से सह– खातेदार कृषक विशेष किला नं. का बेचान या रहन , अन्तरण नहीं कर सकता। रिकार्डेड खातेदारी कृषक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय के मत में प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है।

अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट व रेस्पो सह–खातेदार है । इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के सम्बन्ध में न्याय सिद्धान्त आरबीजे 1997 पेज 621 जगदीशलाल बनाम परमेश्वर लाल में यह held हुआ है कि Ordinarily an injuction can be granted against a recorded khatedar परन्तु जहां पारिवारिक मामले हो के सम्बन्ध में न्याय सिद्धान्त आरआरडी 2006 पेज 761 जीवाराम बनाम रूकमा में held हुआ कि Temperory injuction can be granted against khatedar Tenant.

दोनों ही view का सारभूत आधार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरर्णीय क्षति के विवेचन में अगर वादी या प्रतिवादी के पक्ष में या विरूद्ध सिद्ध करने में सफल होता है तो अधी.न्यायालय को इसका विवेचन कर निर्णय पारित करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के आज्ञापक प्रावधान है परन्तु प्रकरण हाजा में उपरोक्त बिन्दुओं का विवेचन किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2017 को निरस्त किया जाकर पूर्व में अधी. न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.01.2017 को वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)